L.A.M-36
31-10-18

457 NPPK

अधिशासी अधिकारी

भाग-तीन के 03 पद संलग्न है।

सा–17

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

सम्परीक्षा आख्या

लेखे का नाम – नगर पालिका परिषद, खेकड़ा जनपद– बागपत।

अवधि – 2017–18

सम्परीक्षा तिथि – सम्परीक्षा दिनांक 20–4–2018 को आरम्भ होकर दिनांक 6–7–2018 को समाप्त हुई।

प्रशासन – आलोच्य वर्ष में नगर पालिका परिषद, खेकड़ा का प्रशासन निम्नवत् रहा–

अध्यक्ष पद

क0	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीलम धामा	01.04.17 से 02.08.17 तक
2	रिक्त	03.08.17 से 06.09.17 तक
3	श्रीमति निहारिका चौहान ,प्रशासक एवं श्री नीरज कुमार शर्मा, लिपिक संयुक्त रूप से	07.09.17 से 11.12.17 तक
4	श्रीमति संगीता धामा	12.12.17 से 31.03.18 तक

एवं अधिशासी अधिकारी पद पर निम्नवत् कार्यरत् रहे–

क0	नाम	अवधि
1	श्री विनय कुमार त्रिपाठी	01.04.17 से 02.06.17 तक
2	श्रीमति निहारिका चौहान	03.06.17 से 31.03.18 तक

आहरण एवं वितरण का कार्य अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। प्रशासक काल में आहरण वितरण का कार्य अधिशासी अधिकारी तथा लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

भाग–क

वर्तमान लेखा परीक्षा

1– भवन कर, जलकर एवं जलमूल्य का अत्यधिक बकाया रहना नगर पालिका के आर्थिक हितों के विपरीत रू0 10267329–00 :– भवन कर, जलकर एवं जलमूल्य की मॉग वसूली पंजिका की जॉच से प्रकाश में आया भवनकर, जलकर एवं जलमूल्य की कुल मांग के सापेक्ष वसूली अत्यधिक कम थी वसूली कम होने के कारण बकाया में वृद्धि हुई थी।

अत्यधिक धनराशि का बकाया रहना नगर पालिका के आर्थिक हितों के विपरीत था। नगर पालिका द्वारा बकाया के सापेक्ष वसूली का विवरण निम्न प्रकार था–

क0सं0	मद का नाम	चालू व बकाया	मांग वसूली	31 मार्च 18 तक अवशेष मॉग
1	भवनकर	6662055.00	1758327	4903728.00

24/11/18

Scanned by CamScanner

हुए दर पर भुगतान किये जाने से नगर पालिका को रू0 1099–830=269×2129.69=572886.61 की आर्थिक क्षति हुई।

अतः स्पष्ट किया जाय कि अन्य कार्यों से हटकर अधिक दर से इस आईटम का भुगतान करने का क्या औचित्य था अन्यथा स्थिति में किये गये अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

5– पुरानी टाइलों को उखाड़कर पुनः प्रयोग न करने पर इसको उखाड़ने पर किये गये व्यय का अनियमित भुगतान रू0 7123–00:– सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि वार्ड–02 में भोपाल सिंह के मकान से वाल्मीकि मन्दिर तक व उसकी सहायक गलियों के लेवर उठाकर रबड़ मोल्डिड सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क व नाली निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू0 903000–00 की निविदा मैसर्स राहुल पुत्र जसवीर को स्वीकृत की गयी जिनको कार्यादेश संख्या–मीमो/न0पा0परि0खे0/2016–17 जारी किया गया। ठेकेदार के बिल के क्रमांक–1 पर पुरानी टाईल्सों को उखाड़ने पर रू0 7122.84 का व्यय किया गया तथा क्रमांक–2 पर मिट्टी भराई का कार्य कराया गया जिसमें रू0 33094.95 का व्यय किया गया। इसके बिल में पुरानी टाईल्सों का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में यदि पुरानी टाईल्सों का प्रयोग केवल भराव हेतु किया जाता तो मिट्टी भराई की लागत कम आती तथा पुरानी टाइल्सों को उखाड़ने में किया गया व्यय की बचत होती। अतः पुरानी टाईल्सों का उखाड़ने पर पुनः प्रयोग न किया जाना था तो उखाड़ने पर किया गया व्यय अनियमित था अतः इसकी रू0 7123–00 की वापसी अपेक्षित है।

6– शासनादेश के अनुरूप जलमूल्य की दर निर्धारित न किये जाने से नगर पालिका को रू0 513600–00 की आर्थिक क्षतिः– जलमूल्य मांग वसूली पंजी की जॉच से प्रकाश में आया कि नगर पालिका द्वारा प्रति कनेक्शन जलमूल्य के रूप में रू0 25–00 प्रति माह की दर से वार्षिक रूप से रू0 300–00 की वसूली की जा रही थी।

नगर विकास अनुभाग–2 शासनादेश सं0–1810/नौ–2–9657(2)/96 दिनांक 8 जनवरी 1997 के अनुसार जल सम्पूर्ति में निहित व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि के सापेक्ष लिए जा रहे जलमूल्य अपर्याप्त होने के कारण इसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने और ऐसी दरों को सुसंगत नियन्त्रक अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उपविधि नियमावली अथवा अधिसूचना में संशोधन करते हुए प्रवृत्त किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इस दृष्टिकोंण से उक्त शासनादेश में नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में न्यूनतम रू0 500.00 प्रतिमाह घरेलू जल कनेक्शन धारकों से लिया जाना था। जबकि नगर पालिका द्वारा प्रति कनेक्शन रू0 25.00 प्रतिमाह निर्धारित था। एवं जल संयोजन पंजी अनुरक्षित नहीं थी। मॉग वसूली पंजी को वाह्य संकलन के अनुसार उपलब्ध कराये ऑकड़ों के अनुसार नगर पालिका में वर्ष 2017–18 में की गयी मॉग के अनुसार जल संयोजन की संख्या 1712 थी। उक्त शासनादेश के अनुरूप जलमूल्य रू0 50–25=25.00 प्रति माह कम लिया गया था, जिसके फलस्वरूप रू0 1712×25×12=513600–00 वार्षिक रूप से नगर पालिकाओं आर्थिक क्षति हुयी थी। नगर पालिका की आय में वृद्धि हेतु उक्त शासनादेश के सम्बन्ध मतें आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ii) घरेलू एवं व्यवसायिक कनेक्शनों की दर अलग–2 निर्धारित न कर एक ही दर निर्धारित की गयी थी जबकि घरेलू एवं व्यवसायिक कनेक्शनों की दर अलग–2 निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

(iii) सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाय कि कितने कनेक्शन घरेलू और कितने कनेक्शन व्यवसायिक थे।

(iv) आलोच्य वर्ष में रू0 1854798–00 जल मूल्य का अवशेष बकाया था इसकी वसूली अतिरिक्त कराया जाना अपेक्षित है।

7– दुकान किराया का रू0 83050–00 वसूली हेतु बकाया रहने से नगर पालिका को आर्थिक क्षतिः– दुकान किराये की मांग एवं समाहरण पंजिका के जांच से प्रकाश में आया कि नगर पालिका द्वारा किराये पर उठाये गये

Scanned by CamScanner

दुकानों की किराया वसूली बकाया था जिसके कारण नगर पालिका को आय की क्षति हो रही थी दुकान किराये की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। दुकान किराये बकाये का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दुकान नं0	नाम	31 मार्च 2018 को बकाया (रू0)
1	01	श्री सुरेन्द्र पुत्र रामपाल	5400.00
2	02	" अंकित गुप्ता पुत्र किशन चन्द्र	1350.00
3	03	" हमीद पुत्र जावल	350.00
4	04	" आजाद पुत्र जयपाल सिंह	10800.00
5	05	" शिवकुमार पुत्र रघुवरपाल त्यागी	350.00
6	06	मौ0 शमीन पुत्र युसुफ	21600.00
7	07	" सुन्दर पुत्र बनवारी लाल	1200.00
8	09	" यासीन पुत्र करामत	25800.00
9	11	बकील अहमद पुत्र मौ0 यासीन	5400.00
10	12	ताहीर अली पुत्र जाकीर हुसैन	5400.00
11	13	जाकीर हुसैन पुत्र नाजीर अहमद	5400.00
		योग–	83050.00

8– ठेका मुर्दा मवेशी न छोड़े जाने से नगर पालिका को आर्थिक क्षति रू0 11000–00:– सम्परीक्षा में अवगत कराया गया कि आलोच्य वर्ष में ठेका मुर्दा मवेशी नहीं छोड़ा गया था। ठेका मुर्दा मवेशी न छोड़े जाने से नगर पालिका को लगभग रू0 11000–00 की आर्थिक क्षति हुई।

गत वर्ष 2016–17 में उक्त ठेका श्रीमति सोना पत्नी दयाचन्द्र को रू0 10000–00 में छोड़ा गया था अतः यदि इस वर्ष यह ठेका छोड़ा जाता हो गत वर्ष से 10 प्रतिशत अधिक अर्थात 10000+10 प्रतिशत= 11000.00 में छोड़ा जाता।

अतः ठेका न छोड़े जाने का कारण स्पष्ट करते हुए नगर पालिका को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

9– संगठित विकास योजना की धनराशि रू0 6357286–00 खाते में अवरूद्ध रखना अनियमितः– सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि संगठित विकास योजना के खाते में रू0 6357286–00 31 मार्च 2018 को अवशेष थे। जो सिंडिकेट बैंक खाता सं0 87912200030115 में विगत कई वर्षों से खाते में अवरूद्ध रखना अनियमित था एवं खाते में शासकीय धनराशि को अवरूद्ध रखने से विकास कार्य बाधित होता है।

अतः उक्त योजना की खाते में अवरूद्ध धनराशि रू0 6357286–00 का अविलम्ब कोषागार के निर्धारित शीर्षक में जमा कर चालान की प्रति सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाना सनिश्चित किया जाय।

10– विद्युत बिल का समय से भुगतान न किये जाने के कारण संस्था को रू0 35902–98 की आर्थिक क्षतिः– आलोच्य अवधि के व्यय प्रमाणकों के जॉच से प्रकाश में आया कि वा0सं0 33 दिनांक 28–3–2018 रू0 165390–00 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बागपत को कार्यालय विद्युत बिल का भुगतान किया गया था विद्युत बिल में पूर्व के बकाया रू0 128658.21 पर लेट पेमेंट सरचार्ज रू0 34944–91 व वर्तमान बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज रू0 958.07 दर्शाया गया था। इस प्रकार कुल रू0 34944.91+958.07=35902.98 रू0 लेट पेमेंट सरचार्ज विद्युत बिल में दर्शाया गया था। उक्त सरचार्ज विद्युत बिल का समय से भुगतान न किये जाने के कारण लगाया गया था। जिस कारण नगर पालिका परिषद को आर्थिक क्षति हो रही थी, विद्युत बिल समय से जमा न किये जाने

Scanned by CamScanner

के कारण सम्परीक्षा में स्पष्ट कराया जाय एवं इस सम्बन्ध में उत्तरदायी से उत्तरदायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ii) विद्युत बिल में पूर्व की रीडिंग दिनांक 28–1–2018 को 7780–00 दर्शायी गयी थी जबकि बिल की तिथि 12–2–2018 को भी चालू रीडिंग 7780 दर्शायी गयी थी, इसके बावजूद बिल्ड यूनिट 66 किस आधार पर दर्शायी गयी थी इसको सम्परीक्षा में स्पष्ट कराया जाय, अन्यथा दशा में वर्तमान बिल राशि रू0 1787–36 का भुगतान अमान्य है।

(iii) वर्तमान बिल में भी लेट पेमेंट सरचार्ज रू0 958–07 किस आधार पर दर्शाया गया था इसे सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाए। विद्युत बिल का विवरण निम्नवत् है–

एकाउन्ट नं0	बिल न0	तिथि	अवधि	पूर्व से	वर्तमान री0/राशि (रू0)	कनेक्शन धारम नाम
014102000	014117426265	12–2–18	28–1–18 से 12–2–18 तक	7780	7780/165390	चेयरमैन/अध्यक्ष न0पा0प0 खेकड़ा

<u>11– अधिशासी अधिकारी श्रीमति निहारिका चौहान को मकान किराया भत्ता एवं वेतन का अधिक भुगतान रू0 16250–00:–</u> आलोच्य माहों के वेतन देयकों की जॉच से में पाया गया कि अधिशासी अधिकारी श्रीमति निहारिका चौहान को ग्रेड पे 4200–00 के अन्तर्गत श्रेणी–1, बी–1 तथा बी–2 के नगरों के लिए देय मकान किराया भत्ता रू0 2430–00 प्रति माह का भुगतान किया जा रहा था नगर पालिका परिषद खेकड़ा हेतु (अवर्गीकृत श्रेणी) मकान किराया भत्ता रू0 810–00 प्रतिमाह उक्त ग्रेड पे हेतु देय था। इस प्रकार इन्हें रू0 2430–810=1620 प्रतिमाह का अधिक भुगतान किया जा रहा था। अधिशासी अधिकारी को किए गये अधिक मकान किराये भत्ते की गणना निम्नवत् है।

(ii) वेतन देयकों के जॉच में पाया गया कि अधिशासी अधिकारी को जून 2017 में आगणित वेतन रू0 38584–00 के स्थान पर रू0 38634–00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार जून 2017 हेतु इन्हे रू0 50–00 अधिक वेतन का भुगतान किया गया।

अतः अधिशासी अधिकारी को किए गये अधिक भुगतान रू0 16200+50=16250 के सम्बन्ध में स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में अधिक किये गये भुगतान की वापसी अपेक्षित है। अधिक भुगतानित मकान किराया भत्ता का विवरण–

क0सं0	अवधि	दिया गया भत्ता	देय भत्ता	अधिक दिया गया भत्ता
1	जून, 2017	2430–00	810–00	1620–00
2	जुलाई, 2017	2430–00	810–00	1620–00
3	अगस्त, 2017	2430–00	810–00	1620–00
4	सितम्बर, 2017	2430–00	810–00	1620–00
5	अक्टूबर, 2017	2430–00	810–00	1620–00
6	नवम्बर, 2017	2430–00	810–00	1620–00
7	दिसम्बर, 2017	2430–00	810–00	1620–00
8	जनवरी, 2017	2430–00	810–00	1620–00
9	फरवरी, 2017	2430–00	810–00	1620–00

Scanned by CamScanner

10	मार्च, 2017	2430—00	810—00	1620—00
			योग—	16200

12— ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धनः— ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन के सम्बन्ध में सम्परीक्षा को अवगत कराया गया कि नगर पालिका द्वारा घर—घर से कूड़ा इकठ्ठा किया जाता था एकत्रित कूड़े को डम्पिंग ग्राउण्ड में डाल दिया जाता था कूड़ा वही डम्पिंग ग्राउण्ड में पड़ा रहता था।

शासकीय नीति 2000 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का समुचित कार्य किये जाने में जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ का अलगाव उनका शुद्धिकरण तथा निस्तारण सम्मिलित है परन्तु नगर पालिका द्वारा जैविक व अजैविक ठोस अपशिष्ट का विलगीकरण नहीं किया गया था।

अतः जे0एन0यू0आर0एम0 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

13— विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मस/सवस्टेशन से किराया (शुल्क/फीस) प्राप्त न किये जाने से नगर पालिका परिषद को आर्थिक क्षतिः— सम्परीक्षा में पाया गयाय कि संस्था द्वारा विद्युत विभाग के स्थापित ट्रांसफार्मस/सबस्टेशन विनियमन उप निधि न बनाए जाने से नगर पालिका सीमा अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मस/सब स्टेशन पर किराया निर्धारित एवं वसूली की कार्यवाही न किये जाने से लगातार आर्थिक क्षति हो रही थी तथा विद्युत बिल में इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। इस सम्बन्ध में स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाय तथा उक्त उपविधि तैयार कर किराये की वसूली करायी जाय जिससे नगर पालिका को आर्थिक क्षति न हो सके।

14— सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान की कम कटौती किया जाना अनियमितः— सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि अधिशासी अधिकारी को उनके अनुमन्य ग्रेड बेतन रू0 4200 के अन्तर्गत सामूहिक बीमा एवं बचत योजना हेतु रू0 200—00 की मासिक अभिदान कटौती वेतन से की जानी थी, परन्तु इनके वेतन से मात्र रू0 100—00 मासिक कटौती की जा रही थी जो अनियमित था। शासनादेश सं0—एस0ई—2314/दस—2008 बीमा—19/2002 वित्त (सेवाएं) अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 2801 से 5400 तक के अन्तर्गत मासिक अभिदान की दर रू0 200—00 है। अतः कम कटौती किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

15— अधिशासी अधिकारी से न्यू पेंशन स्कीम के अन्तर्गत मासिक अंशदान की कम कटौती किया जाना अनियमितः— आलोच्य माहों के वेतन बिलों के जॉच से प्रकाश में आया कि अधिशासी अधिकारी श्रीमति निहारिका चौहान के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशन अंशदान में केवल मूल वेतन का दस प्रतिशत ही हस्तान्तरित किया जा रहा था जब कि यह मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते दरों का दस प्रतिशत हस्तान्तरित किया जाना था इस प्रकार मंहगाई भत्ते से पेंशन स्कीम में अंशदान न किया जाना अनियमित था, आलोच्य माहों में पूर्व एवं पश्चात भी न काटे गये पेंशन अंशदान की गणना कर सकल राशि पेंशन खाते में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है।

स्थान — मेरठ।
दिनांक — 12—9—2018

(विनोद कुमार बंसल)
उप निदेशक
स्था0 निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Scanned by CamScanner

भाग–ख
विगत लेखा परीक्षा

1– अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण :– सम्परीक्षा के समय गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त थी परन्तु इसकी अनुपालन आख्या तैयार न किये जाने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी।

गत एवं विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियॉ जिनका विवरण संलग्न परि0"क" में सन्दर्भित है के निस्तारणार्थ अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

2– वित्तीय स्थिति :– उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जहां तक सुनिश्चित किया जा सका लेखे की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी–

	धनराशि
1अप्रैल, 2017 को प्रा0 शेष	44025062.49
वर्ष की आय	165478953.97
योग	209504016.46
वर्ष का व्यय	108087211.30
31 मार्च 2018 को अन्तिम शेष	101416805.16
(+) अभुने चेकों की धनराशि	11935607.00
	113352412.16
(–) दिनांक 28–3–2018 का डी0डी0	4602.00
31 मार्च 2018 को बैंक शेष	113347810.16

बैंक का विवरण–

1	पी0एल0ए0 खाता बागपत	–
2	भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 32143685982	45687350.00
3	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स 402010100610	17077189.45
4	सिंडीकेट बैंक 87913070000047	4483890.95
5	सिंडीकेट बैंक 87912200030115	6357286.00
6	पी0एन0बी0 3700000102024706	36440370.40
7	पी0एन0बी0 6444000100027497	141430.40
8	पी0एन0बी0 4483000100039752 (स्वच्छ भारत मिशन)	2964879.90
9	जिला सहकारी बैंक बैंक खेकड़ा	–
10	आई0सी0आई0सी0आई बैंक बागपत खा0सं0 176701000089	192264.00
11	अन्य (खातों का विवरण नहीं)	3149.06
		113347810.16

टिप्पणी –

(1) प्रमाणित किया जाय कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आय नगर पालिका को प्राप्त नहीं हुए थे और न ही अन्य कोई बैंक खाता संचालित था।

(2) बैंक विवरण में अन्य के रूप में दर्शाये रू0 3149–00 का अन्तर बैंक एवं रोकड़वही में विगत वर्षों से था, इसे स्पष्ट कर बैंक में जमा कराया जाय।

(3) आय–व्यय का वर्गीकृत सार पत्र तैयार नहीं किया गया था।

(4) रोकड़बही अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी।

Scanned by CamScanner

(5) कमांक 01 पर पी0एल0ए0 बागपत तथा कमांक 09 पर जिला सहकारी बैंक खेकड़ा में कोई धनराशि नहीं दिखाई गयी, बैंक/पास बुक में इसका सत्यापन कराया जाए।

(6) बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया था, इसे तैयार कर अभुने चेकों का विवरण सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

(7) वर्ष में आय–व्यय का विवरण संलग्न परि0' ख' एवं 'ग' में दिया गया है।

(8) आय–व्यय के ऑकड़े संलग्न परि0–104 (च) में सन्दर्भित है।

3– राजकीय अनुदान :– प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य वर्षों में संस्था निम्नलिखित राजकीय अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसका उपभोग इस कण्डिका में वर्णित निर्धारित शर्तों एवं निहित उद्देश्यों पर उचित रूप से कर लिया गया था। यदि इसके उपभोग में किसी प्रकार का विचलन पाया गया था तो इसका उल्लेख सम्परीक्षा आख्या मतें यथा स्थान कर दिया गया था।

शासन से प्राप्त अनुदानों का विवरण–

(क) अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त धनराशि–

1	संख्या–8/1534/2प्रतिशत स्टाम्प शुल्क/2017–18, दिनांक 6 दिसम्बर 2017	9860300.00
2	संख्या–8/1157/2प्रतिशत स्टाम्प शुल्क/2017–18, दिनांक 14 मार्च 2018	3787540.00
3	संख्या–8/1307/2प्रतिशत स्टाम्प शुल्क/2017–18, दिनांक 10 अक्टूबर 2017	1039385.00
4	संख्या–8/2062/2प्रतिशत स्टाम्प शुल्क/2017–18, दिनांक 26 मार्च, 2018	599221.00
	योग	15286446.00

(ख) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–

1	संख्या–8/582/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 11 अप्रैल, 2017	7887437.00
2	संख्या–8/621/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 19 मई, 2017	7887437.00
3	संख्या–8/854/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 22 जून 2017	7887437.00
4	संख्या–8/972/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 24 जुलाई 2017	7887437.00
5	संख्या–8/1124/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 28 अगस्त 2017	7887437.00
6	संख्या–8/1237/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 26 सितम्बर 2017	8071295.00
7	संख्या–8/1362/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 24 अक्टूबर 2017	8071295.00
8	संख्या–8/1500/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 21 नवम्बर,2017	8071295.00
9	संख्या–8/1659/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 26 दिसम्बर 2017	8071295.00
10	संख्या–8/1785/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 24 जनवरी 2018	8071295.00
11	संख्या–8/1842/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 15 फरवरी 2018	8071295.00
12	संख्या–8/2036/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 22 मार्च 2018	7697137.00
13	संख्या–8/2033/152(3)चतु0रा0वि0आ0/2017–18, दिनांक 22 मार्च 2018	4597751.00
	योग–	100159845.00

(ग) 14वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–

1	संख्या–8/530/171/14वां वि0आ0/2017–18, लखनऊ दिनांक 13अप्रैल, 2017	1588438.00
2	संख्या–8/811/171/14वां वि0आ0/2017–18, लखनऊ दिनांक 7 जून 2017	8997222.00
3	संख्या–8/1014/171/14वां वि0आ0/2017–18, लखनऊ दिनांक 3अगस्त, 2017	9613
4	संख्या–8/1322/171/14वां वि0आ0/2017–18, लखनऊ दिनांक 18 अक्टू0,2017	11759470.00
5	संख्या–8/1895(i)/171(ii)/14वां वि0आ0/2017–18, लखनऊ दिनांक 8मार्च,18	10606110.00
6	संख्या–8/1150/171(ii)/14वां वि0आ0/2017–18, लखनऊ दिनांक 13 मार्च,2018	829704.00
	योग–	33790557.00

Scanned by CamScanner

(घ) स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त अनुदान–

1	संख्या–पी0एम0यू0/378/427(3)/2017–18, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017	408000.00
2	संख्या–पी0एम0यू0/479/427(3)/2017–18, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017	1960000.00
	योग–	2368000.00

टिप्पणी–(i) प्रमाणित किया जाय कि आलोच्य वर्ष में संस्था को उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

(ii) अनुदानों से किये गये व्यय का विवरण संलग्न परि0 (घ व ड0) में संदर्भित है।

(iii) अनुदान पंजी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी।

(iv) अनुदान पंजी में व्यय के उपरान्त शेष नहीं अंकित किया गया था, जिसके अभाव में प्रपत्र–66 तैयार नहीं किया गया जा सका इसे पूर्ण किया जाए।

(v) अप्रस्तुत अनुदानों की शासन से अनुमति लेकर विकास कार्यों पर व्यय किया जाय अथवा सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाय।

(vi) अनुदानों की स्थिति संलग्न परि0 'छ' में दी गयी है।

4– राजकीय ऋण :– वर्ष 2017–18 में शासनादेश संख्या–15/2018 आर0एफ0 205/नौ–9–18–141/2016 नगर विकास अनुभाग–09 लखनऊ दिनांक 15 मार्च 2018 द्वारा रूपये 1250000–00 नया सवेरा योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त हुए थे।

टिप्पणी–(i) प्रमाणित किया जाय कि उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई राजकीय ऋण संस्था को आलोच्य वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ था।

(ii) ऋण पंजी अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित था।

(iii) राजकीय ऋण का विवरण संलग्न परि0'छ' में संदर्भित है।

5– विनियोजन :– सम्परीक्षा में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा आलोच्य वर्ष में कोई भी विनियोजन नहीं किया गया था। इस कथन की पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– सम्परीक्षा शुल्क :– आलोच्य वर्ष में नगर पालिका के लेखे पर शासनादेश संख्या–आडिट 1705/दस–2010–101(33)96 वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ दिनांक 21–7–10 के अनुसार 30 मानव दिवस पर रू0 310000–00 सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया आरोपित सम्परीक्षा शुल्क को अविलम्ब कोषागार के निर्धारित शीर्षक में जमा कर चालान की एक प्रति सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

7– सफाई कर्मचारी कल्याण निधि :– नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मचारी कल्याण निधि को स्थापना नहीं की गई थी जो उचित नहीं था। इस निधि की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

8– कर एवं करेत्तर की स्थिति :– सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहॉ तक सुनिश्चित किया जा सका कर एवं करेत्तर की स्थिति संलग्न परि0 'ज' के अनुसार थी।

टिप्पणी–(1) मांग एवं समाहरण पंजिका का योग नहीं किया गया था। करों के लिए गये आंकड़े वाहय संकलन पर आधारित थे। इसका योग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) 31 मार्च 2018 को कर एवं करेत्तर की रू0 10267329–00 वसूली हेतु बकाया था। इतनी बड़ी धनराशि का बकाया रहना नगर पालिका के आर्थिक हितों के विपरीत था।

(3) मांग एवं समाहरण पंजिका सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थे।

(4) नगर निकाय खेकड़ा की दुकानों का रू0 83050–00 अवशेष बकाया था।

(5) दुकान किराया पत्रावली एवं अनुबन्ध पत्रावली सम्परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी जिससे इसकी स्थिति अस्पष्ट थी, इसकी स्थिति स्पष्ट की जाय।

9– स्वच्छ भारत मिशन :– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन खाते की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थी–

Scanned by CamScanner

	धनराशि
1अप्रैल, 2017 को प्रा0 शेष	577347.25
वर्ष की आय	2405633.00
योग	2982980.25
वर्ष का व्यय	18100.35
31 मार्च 2018 को इति शेष	2964879.90
31मार्च,18 को बैंक शेष	2964879.90
बैंक का विवरण पी0एन0बी0 खा0सं0 4483000100039752	–

टिप्पणी–(i) रोकड़बही अनुरक्षित नहीं की गयी थी। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त धन एवं वितरित धन को मुख्य रोकड़वही में रखकर व्यय किया गया था, जबकि स्वच्छ भारत मिशन हेतु अलग से रोकड़बही अनुरक्षित की जानी थी।

(2) उपर्युक्त ऑकड़े पासबुक के आधार पर लिए गये थे जो रोकड़वही तैयार किये जाने तक अनन्तिम थे।

(3) आलोच्य वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत रू0 2368000–00 राजकीय अनुदान प्राप्त हुआ था तथा अन्य आय ब्याज से प्राप्त हुए थे।

(4) 31 मार्च को रू0 2964879.90 धनराशि अवशेष थी। इसका उपभोग शीघ्र किया जाय था सम्बन्धित विभाग को वापस भेजा जाय।

<u>**10– नजूल**</u> :– सम्परीक्षा में अवगत कराया गया कि नगर पालिका के पास कोई नजूल सम्पत्ति नहीं थी, इस कथन की पुष्टि हेतु जिलाधिकारी बागपत से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर दिखाया जाय।

<u>**11– निष्कर्ष**</u> :– सम्परीक्षा आख्या में उपर्युक्त अंकित अनुच्छेदों में उठाई गई आपत्तियों के अतिरिक्त लेखे का रख–रखाव संतोषजनक था। स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में 03 पद शेष हैं।

<u>**डिस्क्लेमरः–**</u> सम्परीक्षा आख्या में आपत्तियों का समावेश संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर आधारित है। यदि कोई अभिलेख छिपाया गया है तो संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

स्थान – मेरठ।
दिनांक – 12–9–2018
श्री हरबीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक
श्री राजेश कुमार गोंड, लेख परीक्षक
श्री वरूण कंसल, लेखा परीक्षक

(विनोद कुमार बंसल)
उप निदेशक
स्था0 निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट ''क''

सम्परीक्षा आख्या भाग–ख के प्रस्तर–1 में संदर्भित नगर पालिका परिषद, खेकड़ा जनपद– बागपत की अनिस्तारित आपत्तियों की सूची वर्ष 2017–18

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद		पद	योग
1989–90	14(घ),14(ड0)टि0(।)(2)(3)		–	04
1993–94	18,19		–	02
1997–98	।(क)		–	01
1998–99	।(3)(4)		–	02
1999–2000	।(ग)		–	01
2003–04	।(क)(ख)(ग)		–	03
2004–05	।(क)(।)(2)(ख)		–	03
2006–07	।(ज)		–	01
2007–08	।(क)(ख)(छ)		–	03
2008–09	भाग–क	1,2,3,4,5	–	05
2009–10	भाग–क	1,2,3	–	03
2010–11	भाग–क	3(।)(2)	–	02
2011–12	भाग–क	4(क)(ख)(ग)	–	03
2012–13	भाग–क	1,2	–	02
2013–14	भाग–क भाग–ख	1 8	–	02
2014–15	भाग–क भाग–ख	4 5टि0(।)(2),8,9(क)(ख)	–	06
2015–16	भाग–क भाग–ख	1,2,3,4,5,6,7 2टि0(क)(ख)(ग),3,4टि0(क)(ख)(ग)(घ)(।)(।।)(ड0)(च)(छ)(ज)5,6,7,8,9(क)टि0(।)(2)(3)(4)(ग)टि0(।)(।।),(घ)टि0(ड0)(।)(।।)10,11	–	39
2016–17	भाग–क भाग–ख	1,2,3,4,5,6,7टि0(।)(2)(3),8,9,10,11,12 2टि0(।)(2)(3)(4),3टि0(।)(2)(3)(7),4,5,6,7,8,9टि0(।)(2)(3)(4),10टि0(।)(2),11	–	34
			योग–	116

Scanned by CamScanner

—43—

परिशिष्ट खं

(12)

नगर पालिका परिषद खेकड़ा जनपद—बागपत

मदवार आय वर्ष 2017—18

क्र0स0	मद का नाम	धनराशि
1	भवनकर	1,790,286.00
2	जलकर	995,809.00
3	जलमूल्य	335,984.00
4	पंजीयन शुल्क/नामान्तरण	21,318.00
5	दुकान किराया	71,000.00
6	प्रतिलिपि/नकल सवाल	3,000.00
7	निविदा शुल्क	61,826.00
8	राज्य वित्त	100,159,845.00
9	नया सवेरा	1,250,000.00
10	14 वॉ वित्त आयोग	33,790,557.00
11	2 प्रतिशत अवस्थापना निधि	15,286,446.00
12	बैंक व्याज	2,144,025.97
13	रोड़ कटिंग	4,482,500.00
14	स्वच्छ भारत मिशन	2,368,000.00
15	विविध आय	2,718,357.00
	Total	**165,478,953.97**

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद खेकड़ा
जनपद—बागपत

Scanned by CamScanner

(१६)

स्था० नि० ले० 104

वर्ष 2017-18 में

नगरपालिका परिषद्/जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत रवेकड़ा (बागपत) के आय और व्यय की तालिका

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रम-संख्या	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 17 को प्रारम्भिक अवशेष	2017-18 वर्ष की आय					प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4 (ग)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 18 को अन्तिम अवशेष	अन्य
			राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनाव० राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)				
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (च)	5	6	7	8
	नगरपालिका परिषद् रवेकड़ा (बागपत)										
1-	मुख्य खाता –	44025063	14992106	49077003	100159845	1250000	165478954	209504017	108087211	101416806	
2-	स्वच्छ भारत मिशन –	~~37633~~ 577347	37633	2368000	—	—	2405633	2982980	19100	2964880	
योग											

पी० एस० यू० पी०–8 स्था० नि० ले०–6-1-14–50,000 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफ़सेट)।

(17)

परिशिष्ट (६)

प्रपत्र संख्या स्था0 नि0 ले0 105

वर्ष २०२०-२१ में

नगरपालिका/जिला परिषद्/~~अधिसूचित क्षेत्र समिति/नगर क्षेत्र समिति~~ खगड़िया (बागपत) द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
1	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :–				
	(क) ~~शिक्षा~~ राज्य वित्त आयोग	100159845	100159845	—	
	(ख) चिकित्सा				
	(ग) जन-स्वास्थ्य 2% स्टाम्प शुल्क	15286446	—	15286446	49077003
	(घ) सड़क 15वाँ वित्त आयोग	33790557	—	33790557	
	(ङ) अन्य निर्दिष्ट प्रयोजन				
	(च) सामान्य प्रयोजन स्वच्छ भारत मिशन	2368000	—	2368000	
	(छ) नगरपालिका/जिला परिषद्/अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये गये अर्थ-दण्ड के बदले				
	(ज) नगरपालिका/जिला परिषद्/अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशासित नौका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन राजकीय मेला	1250000	—	1250000	
	(ञ) जिला परिषदों के सम्बन्ध में स्थानीय उप-शुल्कों के समतुल्य				
	(ट) [illegible]				
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग ..		100159845	52695003	

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

Scanned by CamScanner